

स० एसएफडी / 58(4)MFRA/2019-20/ 1418
सघ प्रदेश दमण एव दीव प्रशासन,
सहायक मत्स्य अधीक्षक कार्यालय,
मत्स्य विभाग, दीव
दिनांक - 17/07/2019

सार्वजनिक सूचना

दीव जिला के सभी सक्रिय फिशिंग बोट फाईबर नाव के मालिको को सूचित किया जाता है की गोवा, दमण एवं दीव मरीन फिशिंग रेगुलेशन अधिनियम 1982, नियम 3 एवं 4 और दमण एव दीव समुद्री मत्स्य विनियम सशोधन नियमावली, 2009 और 2010 के तहत सभी फिशिंग बोट, फाईबर बोट (IBM & OBM) को मत्स्योद्योग विभाग, दीव से वर्ष 2019-20 के लिए फिशिंग करने हेतु फिशिंग लाइसेंस प्राप्त करना अति-आवश्यक है ।

उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के तहत दिनांक 16/8/2019 से शुरू हो रही फिशिंग सिजन हेतु मत्स्योद्योग विभाग, दीव द्वारा ऑन-लाईन फिशिंग लाइसेंस जारी किया जाना है । इसलिए सभी फिशिंग बोट मालिको सलगन निर्धारित फॉर्म मे अपना आवेदनपत्र भरकर दिनांक 22/07/2019 से नीचे दिये गए कागजात के साथ मत्स्योद्योग विभाग, दीव मे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है ।

ऑन-लाईन फिशिंग लाइसेंस (New/Renewal) जारी / रीन्यू करने हेतु कागजात -

1. आवेदनपत्र फॉर्म (Application form)
2. फिशिंग बोट रजिस्ट्रेशन कॉपी (VRC)
3. पिछले साल का असल फिशिंग लाइसेंस (Original Fishing Licence)

साथ ही सभी बोट मालिको को सूचित किया जाता है कि मत्स्योद्योग कार्यालय, दमण एवं दीव द्वारा दीव जिला के मछुआरे एवं बोट मालिको की सुविधा हेतु 'दीव सागर (DIU SAGAR)' मोबाईल एप (Mobile App) एवं वेब ऐप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसमें 16th अगस्त 2019 से शुरू हो रही फिशिंग सिजन के लिए फिशिंग बोट में सवार खलासीयों की ऐन्टी, डीजल प्राप्त करना, फिशिंग बोट की रवानगी-आगमन, बगैरे की ऐन्टी का कार्य किया जाएगा, इसलिए आपको अपने मोबाईल में गूगल प्ले-स्टोर से दीव सागर (DIU SAGAR)' ऐप्लीकेशन डाउनलोड करके उनका यूजर आईडी एवं पासवर्ड एन्टर करके अपना मोबाईल ऐप्लीकेशन सक्रिय (Active) कराना अति-आवश्यक है, इसलिए यह कार्यालय द्वारा दिनांक 22/07/2019 से फिशिंग लाइसेंस का आपका आवेदन प्रस्तुत करते समय आपकी फिशिंग बोट का दीव सागर (DIU SAGAR)' ऐप्लीकेशन सक्रिय (Active) होना जरूरी है अन्यथा आपका फिशिंग लाइसेंस का आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा । साथ ही सभी फिशिंग बोट में लाईफ सेविंग साधनो जैसे कि लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय (रीग), DATs, GPS-VHF, बगैरे होना अति आवश्यक है। जिस फिशिंग बोट में लाईफ सेविंग साधनो नहीं पाये जाने पर उन्हें फिशिंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा ।

उपरोक्त सूचना का सख्ती से पालन किया जाए, अन्यथा फिशिंग के दौरान तटवर्ती सुरक्षा एंजेन्सी एवं अन्य सरकारी एंजेन्सी द्वारा जांच के दौरान लाइसेंस नहीं पाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।


(सुकर अजनी)

सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक,
दीव

सेवा में,

1. सरपंच, विलेज पंचायत, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, जोलावाडी } सूचनार्थ एवं
2. अध्यक्ष, दीव जिल्ले कि सभी मत्स्य सहकारी मंडली } अधिकतम प्रचार-प्रसार
3. अध्यक्ष, मछुआरा सघ, वनाकबारा / घोघला / दीव } हेतु प्रेषित है ।

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. माननीय समाहर्ता, समाहर्तालय, दीव } जानकारी हेतु ।
2. मत्स्योद्योग अधीक्षक, दमण } जानकारी हेतु ।
3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दीव } वेबसाईट में प्रसारित हेतु ।